

न्यायालय—पंकज शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड, म.प्र.  
(आप.प्र.क.क.मांक : - 1433/2015)  
(संस्थित दिनांक :- 30/12/2015)

म.प्र.राज्य,  
 द्वारा आरक्षी केन्द्र :- मौ  
 जिला—भिण्ड, म.प्र.

..... अभियोजन।

// विरुद्ध //

01. रामेश्वर यादव पुत्र कप्तान सिंह यादव उम्र 26 वर्ष  
 निवासी :- ग्राम किटैना, थाना—मौ, जिला—भिण्ड (म.प्र.)।

..... अभियुक्त।

// निर्णय //

( आज दिनांक : 02/03/2017 को घोषित )

01. आरोपी रामेश्वर पर धारा :- 279 एवं 337 भा.द.सं. एवं मोटर यान अधिनियम की धारा 03/181, 146/196 एवं 39/192 के अन्तर्गत आरोप है कि उसने दिनांक :- 13/10/2015 को दोपहर लगभग 01:30 बजे अशोक जाटव के मकान के बगल में मौ में, उसके आधिपत्य के वाहन मोटर साईकिल क्रमांक एम.पी.07/एम.सी./4555 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया, उक्त वाहन को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर फरियादी सोवरन के भाई राम सिंह को टक्कर मारकर उपहति कारित की एवं उक्त वाहन को बिना बीमा, बिना वैध लाईसेंस एवं बिना रजिस्ट्रेशन के चलाया।

02. प्रकरण में उभय पक्ष के मध्य राजीनामा हो जाना सारवान निर्विवादित एक तथ्य है।

03. अभियोजन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक : 13/10/2015 को दोपहर लगभग 01:30 बजे अशोक जाटव के मकान के बगल में मौ में, लाल रंग की मोटर साईकिल क्रमांक एम.पी.07/4555 के चालक द्वारा मोटर साईकिल को तेजी व लापरवाही से चलाकर फरियादी सोवरन के भाई राम सिंह को टक्कर मारकर उपहति कारित करने की मौखिक रिपोर्ट फरियादी सोवरन द्वारा उसी दिनांक को थाना मौ पर की जाने पर, थाना मौ में मोटर साईकिल क्रमांक एम.पी.07/4555 के चालक के विरुद्ध अपराध क्रमांक 233/2015 अन्तर्गत धारा 279 एवं 337 पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया गया। वाहन मोटर साईकिल क्रमांक एम.पी.07/एम.सी./4555 को जब्त कर जब्ती पंचनामा बनाया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। जब्तशुदा वाहन का यांत्रिक परीक्षण कराया गया। फरियादी सोवरन, आहत राम

सिंह एवं साक्षीगण दीपक एवं सुल्तान के कथन लेखबद्ध किये गये तथा विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

04. अभियुक्त रामेश्वर के विरुद्ध धारा 279 एवं 337 भा.द.सं. एवं मोटर यान अधिनियम की धारा 03/181, 146/196 एवं 39/192 के आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्त का अभिवाक् अंकित किया गया। आरोपी एवं आहत राम सिंह के मध्य राजीनामा हो जाने के कारण अभियुक्त को धारा 337 भा.द.सं. के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है।

05. न्यायिक विनिश्चय हेतु प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है :-

01. क्या आरोपी रामेश्वर ने दिनांक :- 13/10/2015 को दोपहर लगभग 01:30 बजे अशोक जाटव के मकान के बगल में मौ में, उसके आधिपत्य के वाहन मोटर साईकिल क्रमांक एम.पी.07/एम.सी./4555 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया?

02. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर उक्त वाहन को बिना बीमा, बिना वैध लाईसेंस एवं बिना रजिस्ट्रेशन के चलाया?

03. अंतिम निष्कर्ष?

**सकारण व्याख्या एवं निष्कर्ष**  
**विचारणीय बिन्दु क्रमांक : 01 एवं 02**

06. साक्ष्य विवेचना में सुविधा की दृष्टि से तथा साक्ष्य के अनावश्यक दोहराव से बचने के लिए विचारणीय बिन्दु क्रमांक 01 एवं 02 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

07. आहत/साक्षी राम सिंह अ.सा.02 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि घटना उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य दिनांक : 05/12/2016 से लगभग एक साल पहले की दोपहर 12-01 बजे की है। साक्षी आगे कहता है कि उस समय वह साईकिल से अपने गांव शेखपुरा से मौ बाजार सामान खरीदने अपने भाई सोवरन के साथ जा रहा था, जैसे ही वह तथा सोवरन अशोक यादव के मकान के पास पहुँचे, तो बाजार की तरफ से आ रही एक मोटर साईकिल का चालक मोटर साईकिल को तेजी एवं लापरवाही से चलाते हुए लाया और उसकी साईकिल में टक्कर मार दी, जिससे उसकी साईकिल टूट गई। साक्षी आगे कहता है कि टक्कर लगने से उसके दाहिने पैर की पिण्डली, बाये हाथ, सिर तथा सीने में चोट आई। उसका छोटा भाई सोवरन उसे ईलाज हेतु अस्पताल ले गया था। साक्षी आगे कहता है कि जब उसे होश आया तो उसने अपने भाई से पूछा कि मुझे टक्कर किसने मारी थी, तो उसके भाई ने कहा कि उसे नहीं मालूम कि तुम्हें टक्कर किसने मारी थी, क्योंकि भीड़ में वह टक्कर मारने

वाले को नहीं देख पाया था। घटना की रिपोर्ट उसके भाई सोवरन ने थाना मौ में की थी। साक्षी आगे कहता है कि घटना के पश्चात् बेहोश हो गया था, इसलिए टक्कर मारने वाले वाहन चालक को देख नहीं पाया था। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी साक्षी/आहत राम सिंह अ.सा.02 ने आरोपी रामेश्वर द्वारा दिनांक :- 13/10/2015 को दोपहर लगभग 01:30 बजे अशोक जाटव के मकान के बगल में मौ में, उसके आधिपत्य के वाहन मोटर साईकिल क्रमांक एम.पी.07/एम.सी./4555 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न करने एवं उक्त वाहन को बिना बीमा, बिना वैध लाईसेंस एवं बिना रजिस्ट्रेशन के चलाये जाने का तथ्य नहीं बताया है और इस वावत् अभियोजन कथा का समर्थन नहीं किया है। साक्षी राम सिंह अ.सा.02 की न्यायालयीन अभिसाक्ष्य तथा उसके पुलिस कथन प्र.पी.02 के तथ्यों के मध्य ऐसे लोप है, जो विरोधाभास की प्रकृति के है।

08. अभियोजन द्वारा इस बावत कोई अन्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है जिससे यह प्रकट होता हो कि आरोपी रामेश्वर ने दिनांक :- 13/10/2015 को दोपहर लगभग 01:30 बजे अशोक जाटव के मकान के बगल में मौ में, उसके आधिपत्य के वाहन मोटर साईकिल क्रमांक एम.पी.07/एम.सी./4555 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया एवं उक्त वाहन को बिना बीमा, बिना वैध लाईसेंस एवं बिना रजिस्ट्रेशन के चलाया।

09. आरोपी तथा आहत/साक्षी के मध्य राजीनामा हो जाने का तथ्य अभिलेख में है और आहत/साक्षी राम सिंह अ.सा.02 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में भी आया है।

### अंतिम निष्कर्ष

10. उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अभियोजन आरोपी रामेश्वर के विरुद्ध धारा 279 भा.द.सं. एवं मोटर यान अधिनियम की धारा 03/181, 146/196 एवं 39/192 के आरोप संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। फलतः आरोपी रामेश्वर को भा.द.सं. की धारा 279 एवं मोटर यान अधिनियम की धारा 03/181, 146/196 एवं 39/192 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

11. आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है।

12. प्रकरण में जब्तशुदा वाहन मोटर साईकिल क्रमांक एम.पी.07/एम.सी./4555 उसके पंजीकृत स्वामी को प्रदान कर व्ययनित की जाये। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय का व्ययन संबंधी आदेश प्रभावी होगा।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित।  
एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया

(पंकज शर्मा)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

(पंकज शर्मा)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद